"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2010—पौष 1, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 01/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/10/3339.—दिनांक 22-12-2010 को नगरपालिक निगम बिलासपुर, जिला-बिलासपुर के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-01/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

रजनी यादव, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगरपालिक निगम, जिला-**बिलासपुर छ. ग.**

आदेश

(छ. ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 22 दिसम्बर, 2010

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिक निगम बिलासपुर के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगरपालिक निगम बिलासपुर के आम निर्वाचन 2009 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से रजनी यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना दिनांक 8 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना रजनी यादव को दिनांक 2 अप्रैल 2010 को तामील किया गया है. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को विधिवत् तामील होने के उपरांत ही उनके द्वारा अपना जवाब दिनांक 21 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी रजनी यादव ने अपने लिखित जवाब में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा नगरपालिक निगम बिलासपुर के महापौर पद के लिये नामांकन जमा किया गया था परन्तु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण चुनाव नहीं लड़ी इसलिए नामांकन भरने की राशि के अलावा कोई खर्च चुनाव में नहीं करने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है अतएव प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण समाप्त किया जावे. अभ्यर्थी रजनी यादव को दिनांक 28 अक्टूबर 2010 को समक्ष में सुनवाई का अवसर देकर सुना गया.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी के जवाब तथा प्रकरण से संबंधित अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है. अभ्यर्थी रजनी यादव द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक न.पा.आ.नि./निर्वा. व्यय लेखा/2010/961, दिनांक 9 अगस्त 2010 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख 27 दिसम्बर 2009 से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना था. यद्यपि अभ्यर्थी रजनी यादव द्वारा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निर्वाचन में कोई खर्च नहीं करने तथा इस कारण से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का उल्लेख अपने जवाब में किया है तथापि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था. अतएव अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु उन्होंने प्रस्तावित किया है. अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिक निगम बिलासपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी रजनी यादव द्वारा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया गया तथा अभ्यर्थी द्वारा

प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन में अगर प्रचार हेतु कोई खर्च नहीं किया गया है फिर भी नामांकन हेतु जमा की गई राशि का उल्लेख कर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी रजनी यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी रजनी यादव निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्य नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष दस माह की कालावधि के लिये नगरपालिक निगम के महापौर होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

5. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 22 दिसम्बर 2010 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.